



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, पुलिस द्वारा नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ (स्मैक पाउडर) की तस्करी करने वाले 04 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 605 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये), 01 स्कूटी होण्डा एक्टिवा व 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर बरामद

• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 15000/- रुपये नकद पुरस्कार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. मुस्तफा पुत्र खलील निवासी ग्राम खिडका भटका थाना बेहट जिला सहारनपुर, 2. साजिद पुत्र इकराम निवासी मोहल्ला डोली खाल थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर, 3. साजिद पुत्र खलील निवासी ग्राम खिडका भटवा थाना बेहट जिला सहारनपुर व 4. राशिद पुत्र कमरु निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नुकुड जिला सहारनपुर को पर ग्राम नौरंगपुर की तरफ सुन्दरपुर जसमौर मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 605 ग्राम अवैध स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये), 01 होण्डा एक्टिवा स्कूटी व 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम सभी लोग अवैध स्मैक का कारोबार काफी समय से कर रहे हैं जिसमें हम लोग सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों तथा देहरादून बोर्डर के आस पास के क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर/होटल ढाबो व गाँव में नशा करने वाले व्यक्तियों को महंगे दामों में बेच देते हैं। जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है। जिससे हम लोग अपने खाने पीने व शौक को पूरा करते हैं और अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करके भारी मात्रा में स्मैक की खरीद फरोख्त करते हैं। अवैध स्मैक बेचने वाले इन सदस्यों से पूछताछ में एक और मुख्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है। जोकि इनके साथ मिलकर बड़े पैमाने पर स्मैक का काम करता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुस्तफा पुत्र खलील निवासी ग्राम खिडका भटका थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. साजिद पुत्र इकराम निवासी मोहल्ला डोली खाल थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. साजिद पुत्र खलील निवासी ग्राम खिडका भटवा थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. राशिद पुत्र कमरु निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नुकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 605 ग्राम अवैध स्मैक पाऊडर
- 01 स्कूटी होन्डा एक्टिवा
- 01 मोटर साईकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस

अभियुक्त मुस्तफा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 26/18 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 63/20 धारा 323/354(क)/504/506 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 279/17 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 294/17 धारा 147/148/149/224/225/307/336/353/427 भादवि व 31(ए) CLA एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 295/17 धारा 147/148/149/307/336/452/504 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 296/17 धारा 147/148/149/307/452/504 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 337/17 धारा 323/342/504/506 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 554/17 धारा 174ए भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 42/14 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 144/12 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 व 11 पशू क्रूरता अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 321/11 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 व 11 थाना बेहट जिला सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त साजिद पुत्र इकराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 27/22 धारा 3/5/25 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 67/18 धारा 307/506 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 231/16 धारा 307भादवि व 3/8 गौ हत्या अधि0 व 11/3 पशू क्रूरता अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 255/16 धारा 3/8 गौ वध अधि0 व 3 पशू क्रूरता अधि0 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 458/21 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 627/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 628/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 02/20 धारा 3/5/8 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 193/20 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 383/15 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 व 11 पशू क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 759/19 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 821/19 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 177/12 धारा 147/148/149/302/307/341 भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 243/12 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बेहट जिला सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त राशिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त साजिद पुत्र खलील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 294/17 धारा 147/148/149/224/225/307/336/353/427 भादवि व 31(ए) CLA एक्ट थाना बेहट जिला सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 295/17 धारा 147/148/149/307/336/452/504 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 296/17 धारा 147/148/149/307/452/504 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर

4. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

3. उ0नि0 श्री सुखवीर सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

4. हे0का0 895 तुषार तोमर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

5. का0 2514 रणजीत थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

6. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

7. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

8. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

9. का0 273 प्रशान्त कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

10. आरक्षी चालक सुधीर कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारण्टी/एनबीडब्लू अभियुक्त अजय कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0-267/2024 मु0अ0सं0- 986/2010 धारा 138 एनआई एक्ट थाना देवबन्द मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर चालानी थाना देवबन्द मा0 न्यायालय एसीजेएम देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में ग्राम भायलापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. हे0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 07.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुते चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्त में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण 1. बाबर पुत्र जमील नि0 मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर व 2. शाहिद पुत्र जमील नि0 मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 351/20 मु0अ0स0 342/20 धारा 323,504,506 भादंवि थाना रामपुर मनि0 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर तारीख पेशी 08.10.24 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया तथा 3. रिकवरी वारंटी अभियुक्त नसीर अहदम पुत्र शब्बीर अहमद नि0 मौ0 केवट टाउन कस्बा अम्बेटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर सम्बन्धित तामील रिकवरी वारंट वाद संख्या 153/22 धारा 125(3) सीआरपीसी नियत दिनांक 07.10.2024 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्तगण उपरोक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.बाबर पुत्र जमील नि0 मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
- 2.शाहिद पुत्र जमील नि0 मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
- 3.नसीर अहदम पुत्र शब्बीर अहमद नि0 मौ0 केवट टाउन कस्बा अम्बेटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
- 3.उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
- 4.है0का 1003 सुशान्त थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
- 5.का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
- 6.का0 2215 ललित थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर



दिनांक: 07.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें सलित्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.10.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र इन्द्रेश कुमार नि. ग्राम छपरेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को आवास विकास शाकुम्बरी विहार कालोनी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 572/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त लोकेश उपरोक्त ने बताया कि वह कम पढ़ा लिखा है तथा यह स्मैक अन्य राज्यों से सस्ते दामों में लाकर अपने आस-पास के लोगों में अधिक दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

लोकेश कुमार पुत्र इन्द्रेश कुमार नि. ग्राम छपरेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 10 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 1837 सचिन सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का02459 पवन थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 2241 अनिल थाना सदर बाजार सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र कटार सिंह नि0 ग्राम सालहापुर थाना नकुड जिला सहारनपुर संबंधित** वाद सं0 238/18 धारा 138 एनआई एक्ट निर्गत मा0 अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर को अभियुक्त को उसके मकसन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कृष्णपाल पुत्र कटार सिंह नि0 ग्राम सालहापुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 07.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. मुकेश पुत्र प्रकाशा निवासी ग्राम गंगाली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित एनबीडब्लू परिवाद संख्या 13088/22 धारा 138 एनआई एक्ट में व 2. इकबाल उर्फ बुल्ली पुत्र मकसूद निवासी ग्राम कमेशपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू वाद संख्या 939/24 मु0अ0सं0 187/10 धारा 25/4 आयुध अधि0 को थाना क्षेत्र फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

1. मुकेश पुत्र प्रकाशा निवासी ग्राम गंगाली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. इकबाल उर्फ बुल्ली पुत्र मकसूद निवासी ग्राम कमेशपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 1046 सतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 738 विनोद मंडार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 2404 अमित थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 07.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.09.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आबिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा वादिया को प्यार में फसाकर व शादी का झूठा झांसा देकर वादिया के साथ दुष्कर्म करने व वादिया के मोबाइल से अश्लील फोटो एवं विडियो बनाना व वायरल करने की धमकी देना तथा बाद में वादिया के अश्लील फोटो/वीडियो वायरल कर देने के सम्बन्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 244/24 69/351(2) बी0एन0एस0 व 66(E) IT Act पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त आबिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर को ग्राम छज्जपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आबिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र नागर, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उप निरी0 प्रेमराज सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0कां0 425 मोहित, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. है0कां0 1134 सन्दीप, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
5. कां0 1766 मोहन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 07.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साहिल पुत्र खुशनुर निवासी ग्राम बेरी जमा, थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने, वादिया के अश्लील फोटो/वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देने व बाद मे वादिया के अश्लील फोटो/वीडियो वायरल कर देने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 251/24 69/351(3) बी0एन0एस0 व 66(E) IT Act पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र खुशनुर निवासी ग्राम बेरी भलस्वा, थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर को थाना क्षेत्र गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिल पुत्र खुशनुर निवासी ग्राम बेरी भलस्वा, थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

6. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री प्रेमराज सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
8. है0कां0 425 मोहित, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
9. है0कां0 1134 सन्दीप, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
10. कां0 1766 मोहन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक: 07.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **सलमान पुत्र दाऊद निवासी ग्राम आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को 110 ग्राम चरस सहित कासमपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 168/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं हरियाणा से सस्ते दामों पर चरस खरीदकर लाता हूँ और रास्ते पर ट्रक चालको आदि को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ। जिससे मैं अपने खाने पीने के शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र दाऊद निवासी ग्राम आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 65/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 226/21 धारा 147/148/323/504/506/366 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

110 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:07-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल
देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त कर्मवीर पुत्र सलौकी निवासी ग्राम गठेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को निर्माणधीन टंकी से आगे संगमौर की तरफ से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-- 226/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम कर्मवीर के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पैसे कमाने के लिये हरियाणा से शराब लाकर बेचता हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। जिसे मैं अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कर्मवीर पुत्र सलौकी निवासी ग्राम गठेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कर्मवीर उपरोक्त:-

मु0अ0सं0—226/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

12 बोतल देशी शराब नाजायाज हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा हत्या के मामलों में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2024 को वादी श्रीमती पूनम देवी पत्नि स्व० श्री राकेश निवासी कपासा थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. सतीश पुत्र जय सिंह, 2. अनुज पुत्र त्रिलोक, 3. विकास पुत्र सतीश, 4. रविन्द्र पुत्र सतपाल, 5. अमित पुत्र रफल, 6. अर्जुन पुत्र रमेश व 7. सूरज पुत्र सुन्दरलाल निवासीगण ग्राम कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के घर में घुसकर गाली गलौज कर धारदार हथियार से वादिया व वादिया के लडके सुमित व शिवम पुत्रगण राकेश तथा परिजन विशाल व विकास पुत्रगण बिजेन्द्र तथा चुन्नु पुत्र छोटा के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट कर घायल कर देना के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु०अ०सं० 285/24 धारा 191(2)/191(3)109/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मजरूब सुमित पुत्र स्व० राकेश निवासी कपासा की दौरान उपचार जिला अस्पताल सहारनपुर में मृत्यु हो जाने के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नांगल को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 हत्यारोपी अभियुक्तगण 1.रविन्द्र पुत्र सतपाल सिंह 2.अनुज पुत्र त्रिलोकचन्द निवासीगण ग्राम कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर को हाईवे ग्राम बसेडा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों से पूछताछ पर बताया कि दिनांक 02.10.2024 को समय करीब 08.00 बजे सुबह हम लोगो का गाँव की मौजूदा ग्राम प्रधान पूनम देवी व उसके लडके सुमित आदि के साथ पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर कहा सुनी हो गयी तो सुमित व उसके घर के अन्य लोग हमारे साथ गाली गलौज एवं मारपीट पर उतारु हो गये तो हमारे साथ गाली गलौज होते देख हमारे पक्ष के रविन्द्र पुत्र सतपाल, अनुज पुत्र त्रिलोक, अनिल पुत्र रमेश आदि आ गये और हम दोनो पक्षों में दोनो तरफ से मारपीट हो गयी थी जिसमें दोनो पक्षों के ही चोटे आयी थी और दोनो पक्षों के घायल व्यक्तियों का थाना नांगल पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। दूसरे पक्ष के सुमित पुत्र स्व० राकेश की सरकारी अस्पताल सहारनपुर में उपचार के दौरान दिनांक 03.10.2024 को मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रविन्द्र पुत्र सतपाल निवासी कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. अनुज पुत्र त्रिलोकचन्द निवासी कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ०नि० श्री विपिन मलिक थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. है०का० 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**साइबर काइम थाना / सैल जनपद सहारनपुर द्वारा कुल 1,51,88,947 /-
रूपये की धनराशि होल्ड करायी गयी।**

कृपया सादर अवगत कराना है कि जालसाजो द्वारा विभिन्न अपराधिक शैली अपनाते हुए समाज के लोगो से अलग-अलग जालसाजी करते हुए उनसे ऑनलाइन ठगी करते हुए रूपये आहरित कर लिए गये है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का त्वरित संज्ञान लेते हुए नोडल अधिकारी साइबर काइम / पुलिस अधीक्षक नगर, श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशानुक्रम में की गयी त्वरित कार्यवाही स्वरूप साइबर काइम थाना सहारनपुर द्वारा अभियोग दर्ज कर तथा अनावरण के दौरान स्थानीय नागरिको के साथ ऑनलाइन घटित जालसाजी की घटित घटनाओं में विवेचना के दौरान जालसाजो के खातो में गये कुल धनराशि **4,94,09,537 /-** रूपयो में से कुल धनराशि **87,47,500 /-** रूपये का लीन / होल्ड विवेचना क्रम में लगवाया गया जिसमें से **23,40,000 /-** रूपये मा0 न्यायालय के आदेश से वादियो को वापस भी करा दिये गये है। शेष होल्ड / फ्रीज करायी गयी धनराशि **64,07,500 /-** रूपये शीघ्र ही मा0 न्यायालय के आदेशोपरान्त वादी को अपने-अपने खातो में वापस प्राप्त हो जायेगी।

एनसीआरपी पोर्टल / 1930 हेल्प लाईन नम्बर पर दर्ज करायी गयी विभिन्न ऑनलाइन शिकायतो पर त्वरित कार्यवाही करते हुए माह जनवरी 2024 से माह सितम्बर तक साइबर काइम थाना द्वारा **31,63,415 /-** की धनराशि शिकायतकर्ताओ को वापस दिलायी गयी।

जनपद के अन्य समस्त थाना साइबर सैल द्वारा माह जनवरी 2024 से माह सितम्बर तक **32,78,032 /-** रूपये की धनराशि शिकायतकर्ताओ को वापस करायी गयी।

जनपद सहारनपुर की समस्त साइबर काइम ईकाइयो द्वारा कुल धनराशि **एक करोड इक्यावन लाख अठठासी हजार नौ सौ सैतालीस रूपये** अंको में कुल **1,51,88,947 /-** रूपये की धनराशि शिकायतकर्ताओ के त्वरित कार्यवाही स्वरूप बचाये गये।